

परिशिष्ट -6

आय का घोषणा पत्र

(पिता/माता/ संरक्षक द्वारा भरा जायेगा)
आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेश हेतु -

प्रारूप भाग-I

- 1- प्रार्थी (विद्यार्थी के पिता/माता/ संरक्षक) का नाम.....
पिता/पति का नाम श्री.....आयु.....वर्ष.....माह.....
- 2- निवास स्थान का पूर्ण पता:-.....
- 3- आय का घोषणा पत्र देने वाले का पैन नम्बर (बीपीएल को छोड़कर).....(जो स्पष्ट अंकित हो)
- 4- आय का घोषणा पत्र देने वाले का आधार नम्बर.....(जो स्पष्ट अंकित हो)
- 5- आय का घोषणा पत्र देने वाले का जन आधार नम्बर.....(जो स्पष्ट अंकित हो)
- 6- आय का घोषणा पत्र देने वाले के समस्त स्रोतों से सम्मिलित वार्षिक आय का विवरण:- (संबंधित पर चिन्हित करें, राजकीय सेवा में होने पर नियोक्ता द्वारा जारी किया गया फार्म नं 16 भी संलग्न करें)

(1) कृषि भूमि (.....) आदि से आय: रु.....	(2) वृत्ति, सेवा लाभ, अनुदान निकाय आदि से आय : रु.....
(3) वेतन, पेंशन, भत्ते, मानदेय मजदूरी आदि से आय रु....	(4) मशीनरी किराये, दुकानदार, कारोबार, व्यवसाय या ब्याज, लाभांश से आय रु.....
(5) अन्य स्रोतों से आय: रु.....	कुल वार्षिक आय: रु.....

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।
दिनांक.....

हस्ताक्षर.....
आय की घोषणा करने वाले का नाम.....
मय विद्यार्थी से संबंध.....

प्रारूप भाग-II

(दो उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण-पत्र)

हम शपथ पूर्वक बयान करते हैं कि प्रार्थी/प्रार्थियां.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
निवासी.....को भली प्रकार से जानते हैं इनके द्वारा उपरोक्तानुसार की
गई घोषणा के हम साक्षी है। हमारी जानकारी में उक्त वर्णित आय के अलावा प्रार्थी/प्रार्थियां के पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है
(1) हस्ताक्षर/उत्तरदायी व्यक्ति का नाम..... (2) हस्ताक्षर/उत्तरदायी व्यक्ति का नाम.....
(पद नाम दिनांक मय मोर) (पद नाम दिनांक मय मोर)

नोट:- (उत्तरदायी व्यक्ति यथा संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य/जिला प्रमुख/प्रधान/जिला परिषद सदस्य/सरपंच/वार्ड पंच/महापौर/उप महापौर/नगर निगम/नगर पालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/वार्ड पार्षद/वार्ड मेम्बर/राजकीय अधिकारी/कर्मचारी से अभिशपा करवाए।)

प्रारूप भाग-III

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....शपथपूर्वक उद्घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा/मेरी एवं मेरे पति/पत्नी की (जो भी लागू) समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय रु..... अक्षरे रु..... है। उक्त शपथ-पत्र मेरी निजी जानकारी से लिखा गया है, जो सही है। इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है और न ही अस्तय लिखा है। ईश्वर साक्षी है। इस शपथ पत्र में अंकित तथ्य एवं शपथपूर्वक उद्घोषित वार्षिक आय का गलत अथवा मिथ्या होना अथवा किसी तथ्यों में फेरबदल करना इत्यादि भारतीय दण्ड संहिता धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। मैं, यह अच्छी तरह समझता हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त कृत्य करने पर मेरे विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा सकती है तथा दोषी पाए जाने पर मुझे 3 से 7 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है
हस्ताक्षर एवं नाम शपथग्रहिता

प्रारूप भाग-IV (प्रमाणिकरण)

उपरोक्त (शपथकर्ता का नाम).....पिता/पति का नाम
आयु.....निवासीने मेरे समक्ष उपस्थित होकर शपथपूर्वक उक्तानुसार अभिकथन किया है, जिसे प्रमाणीकृत की पहचान मेरे के द्वारा की गई है।

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी
का नाम मय पद एवं सील

(कार्यापालक मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/नायबतहसीलदार/नगर निकायों के अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी/अन्य प्राधिकृत अधिकारी नोटरी पब्लिक/ऑथ कमिश्नर (रजिस्ट्रेशन क्रमांक) का नाम व पद मय मुहर)